लोक सभा

सोमवार, 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे दुख के साथ सभा को हमारी सम्मानित सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी जो प्यार से गीता दीदी के नाम से जानी जाती थीं, के निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी वर्तमान लोक सभा की सदस्य थीं जिन्होंने 1980 से मृत्यु तक, सातवीं से तेहरवीं लोक सभा तक लगातार पश्चिम बंगाल के पंसकुरा संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती मुखर्जी 1967 से 1977 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा की भी सदस्य रहीं। श्रीमती मुखर्जी एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल छात्र संघ के महासचिव के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। लोकसभा में अपनी सदस्यता के दौरान वह सभापति भी रहीं और उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों जैसे सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 संबंधी संयुक्त समिति, आवास समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने संविधान संशोधन (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति की सभापति के रूप में भी कार्य किया जिसमें महिलाओं के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की भी सभापति रहीं।

वह लोक सभा की सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने सदैव गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी कार्य किए। वह महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में हमेशा अग्रणी रहीं। उनके जुझारू प्रयासों से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के मामले में व्यापक सहमति बनी।

एक अनुभवी संसदविद के रूप में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उनकी साहित्य में गहरी रुचि थी और बंगला में 'भारत उपकथा' 'छोटा देर रवीन्द्रनाथ' 'हे अतीत कथा कहो' जैसी किताबें लिखी। उन्होंने विभिन्न समाचार–पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लेख लिखे। उन्होंने 'प्रेस कौसिंल' और 'विश्व भारती न्यायालय', ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल बोर्ड की सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं कीं, वह बर्लिन स्थित वीमेंस इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के सचिवालय की वर्ष 1958 में सदस्य रहीं।

श्रीमती मुखर्जी का 4 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि सभा भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा विश्वास नहीं होता कि अब श्रीमती गीता मुखर्जी से मुलाकात नहीं होगी। मृत्यु एक कठोर सत्य है, लेकिन इस तरह से आंख बचा कर अचानक आकस्मिक रूप से मृत्यु गीता जी को उठा जे जाएगी, इसकी आशंका नहीं थी। उनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। उनका एक जुझारू व्यक्तित्व था। लेकिन जुझारूपन के साथ उनके व्यक्तित्व में वात्सल्य भी था, ममता भी थी, स्नेह भी था, लेकिन अपनी मान्यताओं के प्रति दृढ़ रहने का भाव भी था। हम लोगों ने उन्हें 1980 से लगातार सदन में देखा। सदन के बाहर आम आदमी के लिए उनका सतत् संघर्ष उन्हें गौरव का स्थान प्रदान करता था। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाये जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के आधारभूत मुद्दे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का रूप कैसा हो, यह उनका चिंतन था, उनकी पार्टी का चिंतन था और उतार–चढ़ाव से गुजरते हुए लगातार वे इस ध्येय के प्रति समर्पित और निष्ठ रहीं और उसकी पूर्ति के लिए अहोरात्र काम करती रहीं। शोषण की समाप्ति, भेदभाव का अंत, सब के कल्याण की कामना, उनके कार्य–क्षेत्र में इन सब बातों का समावेश होता था। विशेषकर महिलाओं को शक्ति–सम्पन्न करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब से महिलाओं के रिजर्वेशन का सवाल उठा, वे उसमें अग्रणीय थी, संसदीय समिति की अध्यक्षा थीं, सर्वसम्मत रिपोर्ट लाने में कारणीभूत थीं।

उनके निधन के बाद जब उन्हें प्रणाम करके, श्रद्धा के सुमन समर्पित करके उनके छोटे कमरे से निकल रहा था, और वह कमरा

भी उनके व्यक्तित्व का प्रतीक था, छोटे से कमरे में गुजारा करना और बड़े–बड़े कार्य करना, विट्ठलभाई पटेल हाउस का छोटा सा कमरा लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र हो गया था, तो एक महिला ने कहा कि जो महिला रिजर्वेशन का बिल पड़ा हुआ है, उसे आप मंजूर कर लें। वह बिल सदन की थाती है। उनकी स्मृति हमारे साथ है। इस सदन में उनका खाली स्थान भर जायेगा। लेकिन लोगों के दिलों में उनका जो स्थान खाली हुआ है वह तो आसानी से नहीं भरेगा। मैं अपनी ओर से, अपने गठबंधन की ओर से पूरे सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप हमारी शोक–संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ हमारी सम्माननीय सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन से हम राष्ट्रीय राजनीति की एक सुप्रतिष्ठित विभूति और संसद के सक्रिय और श्रद्धेय सदस्यों में से एक सदस्य से वंचित हो गए हैं।

उनकी सादगी, उनका समर्पण, उनकी प्रतिबद्धता गत 20 वर्षों से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी के साधारण व्यक्तित्व में, एक अदम्य भावना और साहस की प्रतिमा थी जो बहुत कम उम्र से ही स्पष्ट थी, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें कई बार जेल भी हुई। धर्मनिरपेक्षता में उनकी गहरी निष्ठा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, गरीबी निवारण के लिए कार्य महिला हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दोनों स्थानों पश्चिम बंगाल जहां उन्होंने राज्य विधानसभा में दस साल कार्य किया, और संसद में जहां वे बाद में आईं, स्पष्ट झलकती है। उनके कार्य उल्लेखनीय रहे यही कारण है कि वे कभी भी चुनाव नहीं हारीं उनकी वाकपटुता और जिस प्रकार उन्होंने अपनी पार्टी और अपने चुनाव क्षेत्र की सेवा की, अनुकरणीय है।

परन्तु श्रीमती गीता मुखर्जी की संसद सदस्य के रूप में उपलब्धि उनकी पार्टी और उनके चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनका राजनीति और समाज में बहुत बड़ा योगदान है जिनके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अस्सी के दशकों में दहेज विरोधी और बलात्कार विरोधी कानून को संसद में पास करवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी और हाल ही में उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण उनकी अध्यक्षता में बहुत ही कम समय में महिला आरक्षण विधेयक को तैयार किया गया, निःसन्देह पिछले दो दशकों से गीता जी ने संसद की संवेदना महिलाओं की समस्याओं के प्रति जगाने में अहम भूमिका निभाई थी। हम गीता मुखर्जी की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। उनकी कमी हमें सदैव खलेगी। पिछले 20 सालों से उनकी इस सभा में उपस्थिति उनके आदर्श विचार और उनकी निःस्वार्थ सेवा जिसकी राजनीति में आवश्यकता है, की हमें सदैव याद दिलाती रहेगी। इस सम्माननीय सभा में उनकी कमी सदैव खलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं अपने और अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके परिवार और विदेशों में उनके मित्रों और और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। श्रीमती गीता मुखर्जी मेरी बहन समान थी, अनेक वर्षों तक साथ कार्य करने के पश्चात् मुझे उन्हें केवल राजनीतिक या राजनेता या राजनैतिक कार्यकर्त्ता मानना कठिन हो रहा है। वह मेरी बहन थीं। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए यदि वे चाहे, तो इसे मैं अन्य सदस्यों के लिए छोड़ता हूं। मैं उन्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में याद करना चाहता हूं। वे दिल की मरीज थी। उन्हें कुछ साल पहले हृदय की शल्यक्रिया करवानी पड़ी थी और हाल ही में हमें पता चला कि डॉक्टर उन्हें उनकी अस्वस्थता के कारण उन्हें पुनः अस्पताल में जाकर संपूर्ण जाँच के लिए जोर दे रहे थे।

लेकिन, उन्होंने डाक्टरों की नहीं सुनी। वे उनकी कभी नहीं सुनती थी और हम भी उनको मना नहीं सके। इस कारण, यह जानलेवा बीमारी समय आने पर उन्हें लील गई।

महोदय, मैं आपको और इस सदन को श्रीमती गीता मुखर्जी को आज दी जाने वाली श्रद्धांजलि के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी जानते हैं उनका व्यक्तित्व असाधारण था। निःसंदेह मेरी पार्टी को गहरा आघात पहुँचा है। इस सदन को भी गहरा आघात पहुँचा है। परन्तु मृत्यु अटल है, कोई भी इससे नहीं बच सकता, मुझे लगता है, हमें उनके द्वारा इस सभा में स्थापित मानक को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कई सदस्यों को उनके सदन से बाहर के क्रियाकलापों का पता नहीं है। परन्तु, हम जो हमारी पार्टी में सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि किस प्रकार आम जनता और विशेषकर गाँवों, और ग्रामीण क्षेत्रों, में रहने वाले लोग उनसे गहरा स्नेह करते थे और किस प्रकार वे उनके करीब थीं। उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी, या जब भी लोग तकलीफ में थे, जब भी उन्हें श्रीमती गीता मुखर्जी की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने लोगों की सदैव मदद की।

महोदय, हमें उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है, सभा के सदस्य उनकी स्मृतियों को सदैव सम्मान व प्रेम देते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास करना लगभग असंभव है कि गीतादी अब हमारे बीच नहीं है और यहां पर हमारे बीच नहीं बैठेंगी।